न्यायालय सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी
सत्रपरीक्षण संख्या– 140/2016
सरकार बनाम अशोकसिंह आदि

दिनॉक–12.9.2016

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित हैं ।

आरोप के विन्दु पर राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री विनय कुमार यादव व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित प्रलेखों का अवलोकन किया गया ।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया हे कि धारा 307,504,506 भा.द.स. के अन्तर्गत दौरान विवेचना आई साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के लिये मामला इस स्तर पर बन रहा है। दूसरी तरफ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उन्हें गलत फॅसाया गया है । गलत विवेचना करते हुये आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है । अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को इस स्तर पर दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्को को सुना गया तथा पुलिस द्वारा भेजे गये प्रपत्रों का परिशीलन किया गया । परिशीलन के पश्चात मेरी राय में सभी अभियुक्तगण अशोकसिंह उर्फ सुधीरसिंह व शैलेन्द्रसिंह के विरूद्ध धारा 307 सपठित धारा 34, 504,व 506 भा.द.स. के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद है। अतः पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनॉक 14.9.2016 को पेश हो । अभियुक्तगण नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों ।

सत्र न्यायाधीश
कौशाम्बी